भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2387
दिनांक 10.12.2024 को उत्तरार्थ

पंचातयी राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

2387. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई विशिष्ट योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;
(ग) उक्त योजना को किन-किन जिलों में प्रभावी ढंग से लागू किया गया हैं; और
(घ) पंचायतों के विकास के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त धनराशि में से अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) और ग्राम पंचायत भवन और कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों जैसी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से पहले से ही संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है | इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संशोधित आरजीएसए के केंद्रीय घटक अर्थात पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण (आईओपी) और ई-पंचायतों की मिशन मोड परियोजना को भी कार्यान्वित किया जाता है। आईओपी योजना के तहत, सेवाओं की प्रदायगी और जन कल्याण में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को उनके श्रेष्ठ कार्य को मान्यता देने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं। ई-पंचायतों पर मिशन मोड (एमएमपी-ईपंचायत) परियोजना के तहत, पीआरआई के समग्र परिवर्तन के लिए उनके कामकाज में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को वित्तपोषित किया जाता है। ये तीनों योजनाएं छत्तीसगढ़ और उसके सभी जिलों सहित भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों के सभी स्तरों के लिए लागू की गई हैं।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में पंचायतों के विकास के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान के तहत आवंटित धनराशि, आरजीएसए/संशोधित आरजीएसए तथा आईओपी योजनाओं के तहत जारी धनराशि निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वित्त आयोग अनुदान के अंतर्गत आवंटन तथा खर्च	6356.94 6183.89*
आरजीएसए/संशोधित आरजीएसए योजना के अंतर्गत जारी तथा खर्च धनराशि	29.54
आईओपी योजना के अंतर्गत जारीm तथा खर्च धनराशि	7.38

*आवंटित राशि में से की गयी खर्च राशि

नोट:

1. वर्ष 2022-23 से पहले आरजीएसए योजना के तहत धनराशि जारी की गई थी । 2022-23 से संशोधित आरजीएसए के तहत धन जारी किया जाता है।
2. 2023 से आईओपी के तहत पुरस्कार राशि सीधे पंचायतों को हस्तांतरित की जाती है।
3. एमएमपी-ईपंचायत परियोजना के तहत राज्यों को कोई फंड उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

***